स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

प्रेषकः

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान
जयपुर।

प्रेषितिः

कुलपति,

1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
4. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राज0 संस्कृत विश्वविद्यालय, मदाऊ, पो0 भांकरोटा, जयपुर।
7. सर्वपल्ली डॉ0 राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद वि0वि0, जोधपुर।
8. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
9. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि वि0वि0,बीकानेर,
11. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
12. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
13. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,जयपुर।
14. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान वि0वि0,बीकानेर
15. सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय वि0वि0,जोधपुर।
16. पं0 दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
17. महाराजा सूरज मल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
18. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
19. गोविन्द गुरू जन जातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
20. राजस्थान कीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं।
21. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
22. कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
23. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

क्रमांकः एफ.1(10)(A)(9)आरबी/2016/9302 दिनांक 16 नवम्बर, 2016

विषय :– अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14 अप्रैल, 2011 को जारी परिपत्र संख्या प.13(76)का/क–1/गॉ.प्र./2011 के माध्यम से राज्य में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों, जिनकी ग्रेड–पे 4200 या उससे अधिक है को अचल सम्पति का विवरण सार्वजनिक किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों, जिनकी ग्रेड पे–4200 या अधिक है, के द्वारा भी अचल सम्पति का विवरण वार्षिक आधार पर सार्वजनिक किया जाना है। अतः इस संबंध में निम्नाकिंत बिन्दुओं के आधार पर कार्यवाही/व्यवस्था सुनिश्चित करें:–

1. राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिकारी, जिनकी ग्रेड पे–4200 या अधिक है, अपनी अचल सम्पति विवरण प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में प्रत्येक वर्ष की दिनांक 31 जनवरी तक सम्बन्धित कुलसचिव को प्रस्तुत करेंगे। कुलसचिव द्वारा इन विवरणियों को सम्बन्धित विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाएगा।
2. अचल सम्पतियों का विवरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया जावेगा। ऐसी अचल सम्पति का वर्तमान मूल्य उस अवधि में प्रचलित डी.एल.सी. दर के आधार पर संगणित किया जावेगा।
3. इन विवरणों की अनिवार्यता के संबंध में राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के पदोन्नति एवं सेवा सम्बन्धी नियमों में वांछित संशोधन किया जाना।